

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

आलोक कुमार,
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) ।

सेवा में,

E-mail द्वारा

सभी मुख्य अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग, बिहार ।

पटना, दिनांक- 02.05.2025

विषय:- मुख्य शीर्ष 8782 में लंबित राशि के समायोजन के संबंध में ।

प्रसंग:- महालेखाकार (ले० एवं हक०) कार्यालय, बिहार, पटना का पत्रांक 135 दिनांक 11.03.2025 एवं वित्त विभाग, बिहार का पत्रांक 3494 दिनांक 26.03.2025 तथा विभागीय पत्रांक 28 दिनांक 07.04.2025, पत्रांक 21 दिनांक 19.03.2025 एवं पत्रांक 05 दिनांक 23.01.2025 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के सन्दर्भ में कहना है कि आपके परिक्षेत्राधीन प्रमंडलीय कार्यालयों के RF-51 में लंबित अपरिशोधित राशि के समायोजन के संबंध में अधीनस्थ प्रमंडलों को निदेशित करने हेतु स्मारित किया जाता रहा है, ताकि RF-51 में दर्ज अपरिशोधित राशि को शून्य किया जा सके । परन्तु अभी तक इस पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुआ है ।

अतः अनुरोध है कि उक्त संदर्भ में प्रासंगिक पत्रों द्वारा दिये गये दिशा निदेश के आलोक में अपने अधीनस्थ कार्य प्रमंडलों को RF-51 में दर्ज आपत्तियों का निराकरण कराना सुनिश्चित किया जाये ।

विश्वासभाजन


(आलोक कुमार)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

विभागीय वेबसाईट <http://wrd.bihar.gov.in> पर प्रसारित ।